भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 297

(जिसका उत्तर 24 जून, 2019/03 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

अशोध्य ऋणों की वसूली

297. श्रीमती गीताबेन वजेसिंह भाई राठवाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बंद कंपनियों की इक्विटी की बिक्री के माध्यम से अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए कोई विशेष योजना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऋण वसूली योजना के पुनर्गठन की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ऐसी अधिग्रहण प्रक्रिया पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम का पालन किस तरीके से करेगी?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ): अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन विद्यमान तंत्र में वसूली और समाधान में चूककर्ता उधारकर्ता कंपनियों की गिरवी रखी इक्विटी की उनके ऋणदाताओं द्वारा बिक्री और चूककर्ता उधारकर्ता कंपनियों के ऋण को उधारदाताओं के नाम में इक्विटी में परिवर्तित करना (जिसे बाद में बेचा जा सके) शामिल है। बंद कंपनियों की इक्विटी को बेचने के लिए कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है।

***